

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)

क्रमांक:- स्टेनो/प्रशा./31

दिनांक :-20.05.2021

-:: कार्यालय आदेश ::-

Shri Jagannath Pahadia, Former Chief Minister of the State of Rajasthan के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक ई.वी./08/2021 दिनांक 20.05.2021 के द्वारा आज दिनांक 20.05.2021(गुरुवार) को अवकाश घोषित किया गया है।

अतः मैं ऋतु मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्वारा धारा 14 व 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां से प्राप्त मौखिक अनुमति के आधार पर उक्त दिनांक 20.05.2021(गुरुवार) राजकीय अवकाश के लिए, आवश्यक प्रकृति के दाण्डिक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन आदि कार्य हेतु निम्न न्यायिक अधिकारीगण की ड्यूटी उनके मुख्यालय पर लगाती हूँ, जो अपने पदस्थापन मुख्यालय पर उपस्थित रहकर संबंधित ब्लॉक में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित उपरोक्त आवश्यक कार्य का सम्पादन करेंगे।

क्र० सं०	दिनांक	बारां +अंता + मांगरोल + किशनगंज + शाहाबाद ब्लॉक	अटरू + छबड़ा + छीपाबड़ोद ब्लॉक
01	20.05.2021 गुरुवार	श्रीमती बीना मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां मो०नं०-8233969059	श्री पंकज कुमार काबरा अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू- मो०नं०-9214982892

उक्त न्यायिक अधिकारीगण से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त तिथि पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

नोट:- उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद है, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे तथा आवश्यक कार्य कर सकेंगे।

(ऋतु मीणा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0)

दिनांक :- 20.05.21

क्रमांक :- 559

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. संबंधित अधिकारी श्री.....
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
5. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website - dictricts. ecourts. gov.in/baran पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति ।

(ऋतु मीणा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0)